न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान गोविन्दराम बनाम साधुराम

संख्या / वर्ष टी0आई0 140 / 2022

नांक ज्ञा या र्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10/12/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विजय शर्मा व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 की ओर से अधिवक्ता श्री रामावतार शर्मा हाजिर। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम निवारू, पटवार हल्का निवारू, भू.अ.नि. क्षेत्र झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 337 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 337 / 596 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा प्रार्थी व अप्रार्थीगण मनबट के अनुसार मौके पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादग्रस्त भूमि पर विक्रय, हस्तानान्तरण, खुर्द–बुर्द करने पर उतारू है। उन्हे उनकी कब्जे की भूमि से जबरिया बेदखल करने, बेचान, हस्तानान्तरण करने की ऐलानिया धमकी देते है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी विशिष्ट भू–भाग का बेचान, अन्तरण, हस्तानान्तरण, किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद हेतु निवेदन किया गया है। अप्रार्थीगण की विधिवत् तामील पूर्ण करवाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय काउन्टर टी0आई0 पेश कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बरान से कोई लेना–देना नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा तथ्य छिपाते हुए साजबाज कर अप्रार्थीगण की खातेदारी में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करवाकर विभाजन का वाद पेश किया है। प्रार्थी की नियत में खोट आने के कारण अप्रार्थीगण को बेदखल करने की बदनियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करने हेतु निवेदन किया। काउन्टर क्लेम टी0आई0 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम निवारू, पटवार हल्का निवारू, भू.अ.नि. क्षेत्र झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 337 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 337 / 596 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा भूमि जरिए रजिस्टर्ड क्रय की गई थी, जिसकी सम्पर्ण की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं काबिज काश्त है। प्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर खसरा नम्ब 337, 337 / 596 की भूमि में अपना हिस्सा	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

10/2/25

बिना किसी सक्षम न्यायालय आदेश दर्ज करवा लिया। इसलिए काउन्टर दावा बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। अतः अप्रार्थीगण की खातेदारी घोषणा नहीं हो जाने तक प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि पर किसी विशिष्ट भू–भाग का बेचान, अन्तरण, हस्तानान्तरण, किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करने तथा अप्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट नहीं करने बाबत् काउन्टर टी0आई0 को स्वीकार करने एवं प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद हेतु निवेदन किया गया है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन कर न्यायालय यह पाता है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, दावा बाबत् विभाजन के साथ पेश किया है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार है। विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अविभाजित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी का इंच टू इंच में हिस्सा निहित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, इसलिए अप्रार्थी की काउन्टर टी0आई0 तथा प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय–वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि अवस्थित ग्राम निवारू, पटवार हल्का निवारू, भू.अ.नि. क्षेत्र झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 337 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 337/596 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10/02/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम